

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।
दिनांक:- /08/2017
क्रमांक: संस्था/चि0अ0/एटी/प.2/17/

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,
जवाहर लाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं
सामूहिक चिकित्सालय संघ, अजमेर (राजस्थान)।

विषय:-डॉ० महावीर सिंह, चिकित्सा अधिकारी (एनाटोमी) को कार्यग्रहण करवाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 260 दिनांक 25.07.17 के द्वारा डॉ० महावीर सिंह, चिकित्सा अधिकारी (एनाटोमी) का पदस्थापन आपके अधीन किया गया था को आप द्वारा पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में कार्यग्रहण नहीं करवाया है।

अतः निर्देशानुसार लेख है कि उक्त आदेश की पालना में चिकित्सक को संस्थान में कार्यग्रहण करवाते हुए निदेशालय से अग्रिम कार्यवाही हेतु मार्गदर्शन प्राप्त करें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

दिनांक:- 8/08/2017

क्रमांक: संस्था/चि0अ0/एटी/प.2/17/ 287

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2), विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-संबंधित।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी संबंधित।
6. डॉ० महावीर सिंह, चिकित्सा अधिकारी (एनाटोमी) को आज मध्याह्न पश्चात् कार्यमुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी उपस्थिति संबंधित नियंत्रण अधिकारी को प्रस्तुत करें।
7. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग को वेबसाइट/संबंधित की ई-मेल आई.डी. पर डलवाना सुनिश्चित करावें।
8. निजि/आदेश पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।